Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

मध्यप्रदेश में
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में कार्यरत
एमएसएमई विकास कार्यालय, इन्दौर

एमएसएमई–विकास कार्यालय

10, औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर (म.प्र.) 452015
फोन : 0731–2421659, फैक्स : 0731–2420723
ईमेल/E-mail : dcdi-indore@dcmsme.gov.in
वेबसाइट/Website : www.msmeindore.nic.in

एमएसएमई–विकास कार्यालय, इन्दौर

परिचय –

एमएसएमइ–विकास कार्यालय, इन्दौर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम), नई दिल्ली के अधीन है। विकास आयुक्त कार्यालय एम.एम.एम.ई. सेक्टर के विकास हेतु एक नोडल एजेंसी का काम करता है एवं यह संस्थान इसी कार्यालय के अंतर्गत इस क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु मध्यप्रदेश में कार्यरत है। एमएसएमई–विकास कार्यालय, इन्दौर प्रदेश के उद्योगों के विकास में वर्ष 1958 से कार्यरत हैं। इस संस्थान के अंतर्गत दो शाखा कार्यालय रीवा एवं ग्वालियर में स्थित है एवं भोपाल में एक एम.एस.एम.ई.–टेस्टिंग स्टेशन कार्यरत है।

वर्तमान में इस संस्थान में मार्गदर्शन एवं विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न अनुभाग कार्यरत हैं। इन अनुभागों में प्रमुख रूप से यांत्रिकी, रसायन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक, काँच एवं मृत्तिका, लेदर एवं फुटवियर, आर्थिक अंवेषण एवं उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण अनुभाग। इन अनुभागों के अलग–अलग तकनीकी अधिकारी हैं जो अपने क्षेत्र के उद्यमियों को विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रमुख योजनाएँ घोषित की गई है। जिनका क्रियान्वयन एम.एस.एम.ई.–विकास कार्यालय, इन्दौर द्वारा किया जाता है।

एम.एस.एम.ई.–विकास कार्यालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाएं

एमएसएमई अधिनियम–2006 संशोधित वर्गीकरण 01 जुलाई 2020 से लागू

समय मापदण्ड : प्लांट और मशीनरी में निवेश/उपकरण में निवेश और वार्षिक टर्नओवर

वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण उद्यम और उद्यम सेवाएँ प्रदान करना	प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश : 1 करोड़ से अधिक नहीं और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं।	प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश : 10 करोड़ से अधिक नहीं और वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं।	प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश : 50 करोड़ से अधिक नहीं और वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक नहीं।

एम.एस.एम.ई. के लिए ऋण एवं वित्तीय सहायता
Loan and Financial Assistance to MSME

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम / Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये तक का कोलेटरल मुक्त ऋण एवं परियोजना लागत पर अधिकतम 15% से 35% तक की सब्सिडी।

आवेदन कैसे करें : https://www.kviconline.gov.in

(ख) मुद्रा योजना (शिशु, किशोर एवं तरुण) / MUDRA SCHEME

शिशु 50 हजार रुपये तक, किशोर 5 लाख रुपये तक, तरूण 10 लाख रुपये तक का कोलेटरल मुक्त ऋण

आवेदन कैसे करें : https://www.mudra.org.in

(ग) स्टेण्ड–अप इंडिया (अनु.जाति/अनु.ज.जाति एवं महिलाओं के लिए) / Stand-up India

बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का कोलेटरल मुक्त ऋण

आवेदन कैसे करें : https://www.standupmitra.in

(घ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम / Credit Guarantee Trust for MSE (CGTMSE)

सम्पार्श्विक और तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना पांच करोड़ रुपयों के ऋणों हेतु मौजूदा एवं भावी उद्यमियों हेतु क्रेडिट गारंटी। वार्षिक गारंटी फीस 0.37% प्रतिवर्ष से 1.35% प्रतिवर्ष निर्धारित है।

आवेदन कैसे करें : https://www.msme.gov.in

खरीद और विपणन सहयोग योजनाएं
Procurement and Marketing Support (PMS)

(क) घरेलू मेले/प्रदर्शनी – इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जनपद/राज्य स्तरीय प्रदर्शनी/व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु स्टॉल शुल्क, आने–जाने का किराया, मालभाड़ा आदि अधिकतम 1.50 लाख (मेट्रो एवं श्रेणी–ए नगरों के लिए) तथा 80000/– तक (अन्य नगरों के लिए) प्रतिपूर्ति दी जाती है।

आवेदन कैसे करें : https://www.my.msme.gov.in

(ख) विपणन/सार्वजनिक खरीद/पैकेजिंग आदि पर अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम – यह संस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के व्यापार बढ़ाने हेतु सरकारी विभागों/उपक्रमों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यशाला एवं राज्य स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

आवेदन कैसे करें : https://www.my.msme.gov.in

सार्वजनिक खरीद नीति
Public procurement Policy (PPP)

(भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु अनिवार्य रूप से लागू) :

- एम.एस.ई. से 25% की अनिवार्य खरीद
- एस.सी./एस.टी. स्वामित्व वाले एम.एस.ई. से 4% की अनिवार्य खरीद।
- महिला स्वामित्व वाले एम.एस.ई. से 3% की अनिवार्य खरीद
- आवेदन कैसे करें : https://www.sambandh.msme.gov.in

एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)
MSE-CDP Scheme

- सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए 30 करोड़ रुपये की अधिकतम परियोजना से 80% तक
- एमएसई के नये/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों हेतु 15 करोड़ रुपये तक की अधिकतम परियोजना लागत का 70% तक
- क्लस्टरों से आधारभूत सुविधाओं का सृजन/उन्नयन।
- आवेदन कैसे करें : https://www.cluster.dcmsme.gov.in

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एवं तकनीकी उन्नयन योजना
CLCSS Scheme

आवेदन कैसे करें : https://www.my.msme.gov.in

(अ) **क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी** – तकनीकी उन्नयन हेतु निर्धारित सेक्टरों से खरीदी गई मशीनों हेतु लिये गये टर्म लोन का 15% और अधिकतम रुपये 15 लाख तक की सब्सिडी।

एमएसएमई चैम्पियन स्कीम –

(ब) **लीन मैन्युफैक्चरिंग, जेड, आईपीआर, इनक्यूबेशन, डिजाईन, डिजिटल एमएसएमई :**

एमएसएमई सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन। जेड पद्धतियों को बढ़ावा देना एवं सफल एमएसएमई के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

- **एमएसएमई नवप्रवर्तन (इंक्यूबेशन, आईपीआर एवं डिजाईन)** नवप्रवर्तन वाले आईडिया को विकसित करने की चाह रखने वाले एमएसएमई, व्यक्ति छात्र।
- **इन्क्यूबेशन –** विचारों को विकसित और पौषित करने के लिए मेजबान संस्थान को वित्तीय सहायता।
- **डिजाईन –** किसी भी एमएसएमई के लिए अनुमोदित डिजाईन एवं छात्र परियोजनाओं के लिए।
- **आईपीआर :** पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, डिजाईन के पंजीयन के लिए प्रतिपूर्ति तथा आईपीएफसी के लिए अनुदान।

उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम
Enterpreneurship Skill Development Programme (ESDP)

बेरोजगार युवकों एवं युवतियों तथा उद्यमियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम एवं प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम

EAP - अवधि 1 कार्य दिवस
MDP - अवधि 1 सप्ताह
ESDP - अवधि 6 सप्ताह

आवेदन कैसे करें : https://www.my.msme.gov.in

राष्ट्रीय पुरस्कार योजना
National Award Scheme

एमएसएमई उद्यमियों को सम्मानित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना।

आवेदन कैसे करें : https://www.dashboard.msme.gov.in

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन
Implementation of various Schemes conducted by Ministry of MSME

स्फूर्ति, एस्पायर, एससी/एसटी हब, इन्टरनेशनल कोऑपरेशन, रेम्प, ईडीसी, ई.एस.सी., उद्यम सखी केन्द्र आदि।

आवेदन कैसे करें : https://www.my.msme.gov.in

पीएम विश्वकर्मा
PM Vishwakarma

प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों के लिए 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 03 लाख रुपये तक ऋण सहायता।

कौशल उन्नयन (स्टायपंड) सहित टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन एवं विपणन सहायता।

आवेदन कैसे करें : https://www.pmvishwakarma.gov.in

अन्य सेवाएँ एवं गतिविधियाँ
Other Services & Activities

(क) तकनीकी, औद्योगिक संभाव्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि का निर्माण, जिला एवं क्षेत्र सर्वेक्षण, संभाव्यता प्रतिवेदन।

(ख) आर्थिक अन्वेषण एवं सांख्यिकी अनुभाग (EI/PI)

संस्थान का आर्थिक अन्वेषण एवं सांख्यिकी अनुभाग प्रदेश के विभिन्न जिलों का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण करके स्थानीय कच्चे माल एवं मांग को आधार मानकर विभिन्न औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाता है तथा उद्योग प्रारंभ करने के इच्छुक व्यक्तियों को उनके अनुभव एवं रूचि के अनुसार उद्योगों के चुनाव में सहायता प्रदान करता है।

(ग) एमएसएमई टेस्टिंग स्टेशन भोपाल (MSME-Testing Station Bhopal)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की गुणवत्ता में सुधार हेतु भोपाल में एक टेस्टिंग स्टेशन कार्यरत हैं। यहाँ पर भौतिक टेस्टिंग व रासायनिक टेस्टिंग हेतु सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं तथा लौह एवं अलौह धातुओं एवं केमिकल्स/रासायनिक पदार्थों के विश्लेषण की सुविधा भी उपलब्ध है।

(घ) प्रशिक्षण सह उत्पाद विकास केन्द्र (TPDC)

एमएसएमई विकास कार्यालय, इंदौर में प्रशिक्षण सह उत्पाद विकास केन्द्र (टीपीडीसी) की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण देकर उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। टीपीडीसी में बेकरी उत्पादों को बनाने के लिए प्लांट लेवल उत्पादन क्षमता के रोटरी रैक ओवन, नीडिंग मशीन, प्लेनेटरी मिक्सर, स्पाइरल मिक्सर, शुगर ग्राइंडर, ब्रेड स्लाइसर आदि फल एवं सब्जी प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण देने के लिए फ्रूट मिल, फ्रूट पल्पर, कैपिंग मशीन, स्टेण्डरडाईजेशन टैंक, सोया दूध बनाने की मशीन आदि मशीनें व उपकरण स्थापित किए गए हैं। जिन पर प्रायोगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हैं।

(इ) पुस्तकालय (Library)

संस्थान में स्थित पुस्तकालय में यांत्रिक, रसायन, धातु, फूड, विद्युत, काँच एवं मृत्तिका, चर्म पादुका इत्यादि से संबंधित व्यवसायों की तकनीकी पुस्तकें उपलब्ध हैं।

विकास आयुक्त (एमएसएमई) नई दिल्ली की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश के कार्यालयों के नाम व पते

❖ **एमएसएमई-विकास कार्यालय**
10, औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर (म.प्र.) 452 015
फोन - 0731 - 2421659
फैक्स - 0731-2420723
ईमेल/E-mail : dcdi-indore@dcmsme.gov.in
वेबसाइट/Website : www.msmeindore.nic.in

❖ **शाखा : एमएसएमई-विकास कार्यालय**
7, औद्योगिक बस्ती, बिरला नगर, तानसेन रोड, ग्वालियर (म.प्र.) 474002
फोन/फैक्स - 0751-2422590

❖ **शाखा : एमएसएमई-विकास कार्यालय**
उद्योग विहार, चौरहटा, रीवा (म.प्र.) 486 001
फोन - 07662 - 220948

❖ **एमएसएमई टेस्टिंग स्टेशन**
36-37-ई, औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.) 462023
फोन/फैक्स - 0755 - 2586075

Website : **www.msmeindore.nic.in** **www.dcmsme.gov.in**